रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2015, शनिवार/अग्रहायण 15—अग्रहायण 21, 1937
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2015, SATURDAY/ AGRAHAYANA 15—AGRAHAYANA 21, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 229.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी प्राध्यापक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी प्राध्यापक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी प्राध्यापक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हिंदी प्राध्यापक	*158 (2015) (*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित,' अनतु-सचि-	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 ₹	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	आवश्यक अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी में बैचलर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर्स	लागू नहीं होता

	सकता है)	वीय।			अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा में बैचलर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर एक विषय अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी में मास्टर्स डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा में बैचलर। वांछनीय: केंद्रीय या राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के अधीन सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर हिंदी शिक्षण का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :-अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	100% कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण :- (i) पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडॅर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4600 ₹ में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो।	लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :- संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष राजभाषा विभाग निदेशक - सदस्य राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण किए हुए हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)			

[फा.सं.14034/35/2009-राभा (प्रशि.)]

मंजुला सक्सैना, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 229.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme (Hindi Pradhyapak) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Pradhyapak in the Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme, Hindi Pradhyapak (Group "B") Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post .	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hindi Pradhyapak	*158 (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial .	Pay Band-2, ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4800	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** (i) Bachelor's degree in Hindi with English as one of the subject at degree level either as compulsory or optional from a recognized University or Institute plus Master's degree in any subject from a recognized University or Institute plus Bachelor of Education from a recognized University/Institute. OR Bachelor's degree in any subject from a recognized University or Institute plus Master's degree in Hindi with English as one of the subjects at degree level either as compulsory or optional from a recognized University or Institute plus Bachelor of Education from a recognized University/Institute. **Desirable:** Two years experience of teaching Hindi at Senior Secondary level under Central or State Governments or recognized educational Institution. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority

						for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	100% by direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government. (a)(i) holding	Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Jt. Secretary (Official Language), Department of Official Language. – Chairman, 2. Director, Department of Official Language. – Member, 3. Director, Central Hindi Training	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2; ₹ 9300-34800 plus grade pay 4600₹ or equivalent in the parent cadre or Department and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)		Institute. – Member.	

[F. No. 14034/35/2009-OL (Training)]

MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. **230.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल (पैरा–मेडिक कर्मचारीवृंद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है ; अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल (पैरा–मेडिक कर्मचारीवृंद) अयोधक समूह 'ग' पद के भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल (पैरा–मेडिक कर्मचारीवृंद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011, की अनुसूची में,-